



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032023-244034  
CG-DL-E-02032023-244034

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 918]  
No. 918]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2023

का.आ. 955(अ).— खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे निरसन से पहले किए गए अथवा किए जाने के लिए छोड़ दिए गए कार्यों के अलावा केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 2 मार्च 2016 के का.आ.सं. 645 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना को रद्द करती है।

[फा.सं. पीएस1-12012/3/2021-पीएस1]

म. नागराजू, अपर सचिव

**MINISTRY OF COAL****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2023

**S.O. 955(E).**—In exercise of the powers conferred by sub- clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (3) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Coal, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub- section (ii) vide number S.O. 645(E) dated 2nd March 2016 except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. PS1-12012/3/2021-PS1]

M. NAGARAJU, Addl. Secy.